



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 आषाढ़ 1942 (श10)
(सं0 पटना 386) पटना, मंगलवार, 30 जून 2020

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

कार्यालय आदेश
25 फरवरी 2020

सं० 12/चक0-विविध-09-03/2015-190/चक०—बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956, 5(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसका समाधान होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित अंचलों से संबंधित ग्रामों (इकाईयों) की समेकन योजना कार्यबल के अभाव में तैयार करने में समय लगने की संभावना है।

वैसे जगहों पर चकबंदी अधिनियम की धारा 5 के तहत भू-अंतरण एवं बँटवारा पर प्रतिषेध जनहित में उचित नहीं होता है। इससे रैयतों के कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। धारा 5 की उप धारा (1) के उपबंधों के प्रावधानों के चलते इन ग्रामों के रैयत एवं दर रैयतों को भूमि अंतरण पर प्रतिबंध से परेशानी होगी।

अतः चकबंदी पदाधिकारी से प्राप्त अनुसंधित प्रतिवेदन के आलोक में निम्न अनुसूची में वर्णित जिले के चकबंदी योजना से आच्छादित अंचलों के राजस्व ग्रामों के भूमि अंतरण की धारा 5(1) के उपबंधों के प्रवर्तन से अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक छूट दिया जाता है।

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	अभ्युक्ति
1	भोजपुर	जगदीशपुर	शिवपुर	245	
			बलिगाँव	284	

2. प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 386-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>